उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–3–ई.एम./2012–का–4–2020
लखनऊ, दिनांक 21 मई, 2020

## अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में निषिद्ध करती हैं:–

1. उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य–कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा;
2. राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना, गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,
Mukul
(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

[hosted at sacw.net archive]